कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात।

आदेश सं0 06 दिनांक: 15-01-2025.

जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में वर्ष 2025 हेतु स्थानीय अवकाश के संबंध में जारी आदेश सं0 266 दिनांकित 18.12.2024 के द्वारा दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 590/Admin. (E-I) Section/XC-4 dated 13.01.2025 के द्वारा दिनांक 14.01.2025 दिन मंगलवार को मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है।

उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 14.01.2025 मकर संक्रान्ति हेतु घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर **दिनांक 03.02.2025 बसन्त पंचमी के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश** घोषित किया जाता है। उक्त आदेश वाह्य स्थित न्यायालय भोगनीपुर, घाटमपुर एवं ग्राम न्यायालय बिल्हौर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित हो। दिनांक 03.02.2025 को पूर्व से नियत पत्रावलियों की सुनवाई दिनांक 04.02.2025 को की जायेगी।

आदेश की प्रति समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी को प्रेषित की जाये।

परिचालित हो। समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

15.1.2025

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
3. न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग), भोगनीपुर, कानपुर देहात।
4. न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग), घाटमपुर, कानपुर देहात।
5. ग्राम न्यायालय, बिल्हौर, कानपुर देहात।
6. जिला सूचना अधिकारी, जनपद कानपुर देहात को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष/महामंत्री, एकीकृत बार एसोसिएशन, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात।
8. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात।
9. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन, माती मुख्यालय, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात।
10. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय,
कानपुर देहात।

संशोधित स्थानीय अवकाश

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, कानपुर देहात

आदेश संख्या – 01 दिनांक : 27–01–2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० 590/Admin.(E-I) Section/XC-4 दिनांकित 13.01.2025 के द्वारा दिनांक 14.01.2025 मकर संक्रांति को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिसको दृष्टिगत रखते हुये जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात द्वारा दिनांक 14.01.2025 मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर **दिनांक 03.02.2025 को बसन्त पंचमी के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश** घोषित किया गया है।

चूंकि परिवार न्यायालय जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर में ही कार्यरत है। अतः उक्त आदेश के दृष्टिगत प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, कानपुर देहात के आदेश संख्या 07 दिनांकित 19–12–2024 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये, **दिनांक 14–01–2025 मकर संक्रांति के स्थान पर दिनांक 03–02–2025 को बसन्त पंचमी के उपलक्ष्य में परिवार न्यायालय कानपुर देहात में भी अवकाश घोषित किया जाता है।**

27.1.2025

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
कानपुर देहात।

1. प्रति अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कानपुर देहात।
2. प्रति नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कानपुर देहात को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।